



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

कोटेश्वर, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

पत्रांक: टीएचडीसीइलि/केएचइपी/का0एवंप्रशा0/शिक्षा-सह-रोजगार योजना/2016/ 52

दिनांक: 29.11.2016

सार्वजनिक सूचना

विषय: शिक्षा-सह-रोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची।

कार्मिक एवं प्रशासन विभाग, केएचइपी, कोटेश्वर के पत्रांक सं0 टीएचडीसी/केएचइपी/का0एवंप्रशा0/2015/01 दिनांक: 08.12.2015 द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु अधिसूचना/विज्ञप्ति प्रचलित की गई थी।

भासों (दाया)	:	01 पद (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित)
भासों (बाया)	:	01 पद (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित)
गैरोगीसेरा	:	02 पद अनारक्षित (सामान्य)
सोंटियालगांव	:	01 पद अनारक्षित (सामान्य)

चयन प्रक्रिया में उल्लेखित मानदण्डों एवं योग्यतानुसार, उपरोक्त पदों हेतु (विभिन्न अभिलेखों की सत्यता प्रमाणित होने की शर्त पर) निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।


क्र0सं0	चयनित अभ्यर्थी का नाम (श्री)	पिता का नाम (श्री)	श्रेणी	प्रभावित ग्राम का नाम	जिस हेतु प्रारम्भ में चयन किया जाना प्रस्तावित है
1.	सुरेन्द्र पाल	झोंडिया	अनुसूचित जाति	भासों (बाया)	आई0टी0आई0 प्रशिक्षण हेतु
2.	त्रिलोक सिंह	जान सिंह	सामान्य	गैरोगीसेरा	01 वर्षीय विभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु
3.	कमल सिंह	दीप चन्द सिंह	सामान्य	गैरोगीसेरा	वर्तमान में फीटर ट्रेड में आई0टी0आई0 प्रशिक्षणरत् तदुपरांत 01 वर्षीय विभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु
4.	दिनेश कुमार	मातबर	अनुसूचित जाति	भासों (दाया)	आई0टी0आई0 प्रशिक्षण हेतु

नोट:-

1. ग्राम सोंटियालगांव के 01 (एक) पद के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में एक वाद विचाराधीन है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। इस पद पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक हटाये जाने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
2. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों के राजस्व संबंधी अभिलेख जिलाधिकारी/पुनर्वास निदेशालय, नई टिहरी को सत्यापन हेतु प्रेषित किए जायेंगे। सत्यापन के उपरान्त ही योग्य अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी अभ्यर्थी के राजस्व संबंधी अभिलेख असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने की सूचना का0एवंप्रशा0 विभाग, कोटेश्वर को प्राप्त होगी तो उसका चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

क्रमश:-2-

3. राजस्व सम्बन्धित अभिलेखों की जांचोपरान्त. कार्मिक एवं प्रशासन विभाग, केएचइपी, कोटेश्वर चयनित अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यताओं के अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेखों की मूलरूप में जांच करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यताओं के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य वांछित अभिलेख मूलरूप में प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा उसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त माना जायेगा।


(सीमांत पत्र)

उप महाप्रबन्धक (का0एवंप्रशा0)

वितरण:-

1. अपर महाप्रबन्धक (आई0टी0), टीएचडीसी इंडिया लि0, ऋषिकेश- इस आशय से प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना को वृहद प्रचार हेतु टीएचडीसी की वेबसाइट में अपलोड करने की कृपा करें।
2. सूचना पट्ट, केएचइपी, कोटेश्वर।

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (का0एवंप्रशा0), टीएचडीसी इंडिया लि0, ऋषिकेश।
2. उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
3. तहसीलदार, गजा, जिला टिहरी गढ़वाल।